न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2983–एक / 2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–08–14 पारित आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 20 / 13–14 अपील.

पूरन सिंह पुत्र महाराज सिंह यादव
नि0 ग्राम पंचायत महाराजपुर, तह0 जौरा,
जिला मुरैना, म0प्र0 ——— आवेदक

विरूध्द

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर
2– सचिव, गाम पंचायत, महाराजपुर,
तह0 जौरा, जिला मुरैना, म0प्र0 ——— अनावेदकगण

श्री एस0पी0 धाकड, अभिभाषक – आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 16–3–15 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 20 / 13–14 मे पारित आदेश दिनांक 05–08–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग व्दारा मुरैना मे संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु मुरैना मुख्यालय एवं उसके आसपास 30 एकड भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करने पर तहसीलदार, जौरा ने अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के माध्यम से प्रतिवेदन दिनांक 30–8–2013 प्रस्तुत किया। कलेक्टर, जिला मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 02–09–13 व्दारा ग्राम महाराजपुरा स्थित भूमि कुल किता 19 कुल रकबा 4.62 हे0 भूमि संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण

हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील आयुक्त, मुरैना संभाग ने अपने आदेश दिनांक 05–08–14 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक ग्राम पंचायत महाराजपुर का स्थाई निवासी होकर चरवाहा है। प्रश्नाधीन भूमि 04.62 हे0 संभागीय आवासीय विद्यालय भवन हेतु आरक्षित किये जाने से ग्राम महाराजपुर में वर्तमान में चरनोई भूमि का निर्धारित रकबा ग्राम की कुल भूमि के 2 प्रतिशत से कम हो गया है एवं गॉव के पशुओं के लिये चरागाह योग्य भूमि शेष नहीं बची है जो आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत, महाराजपुर ने भी भू–राजस्व के आज्ञात्मक प्रावधानों को अनदेखा कर ग्राम सभा की बैठक बुलाये बिना, ग्रामवासियों को सूचित किये बिना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कलेक्टर व्दारा भी इश्तहार जारी किये बिना भूमि के व्यपवर्तित करने के आदेश दिये हैं जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, किन्तु आयुक्त व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार व्दारा विधिवत जॉच कराने के बाद प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है। कलेक्टर व्दारा सार्वजनिक हित में प्रश्नाधीन भूमि संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये हैं, जिसे विव्दान आयुक्त व्दारा अपील में यथावत रखा गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, महाराजपुर व्दारा ग्राम महाराजपुर के कुल किता 17 कुल रकबा 4.21 हे0 चरनोई भूमि संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदार ने भी अपने प्रतिवेदन दिनांक 30–8–13 में भी यह उल्लेख किया है कि

ग्राम पंचायत महाराजपुर ने ठहराव/प्रस्ताव व्दारा कुल किता 17 कुल रकबा 4.21 हे पर संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु सहमति दी गई है तथा शेष भूमि सर्वे क0 1168, 1189 नोईयत आबादी की सहमति नहीं दी गयी है। अनुविभागीय अधिकारी ने 31–8–13 को कुल किता 17 कुल रकबा 4.21 हे0 पर संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 2–9–13 व्दारा 4.62 हे0 भूमि संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये हैं। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के यह निष्कर्ष कि ग्राम पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर ने प्रश्नाधीन भूमि 4.62 हे0 संभागीय आवास विद्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित की गयी है, अभिलेख सम्मत नहीं है। ग्राम महाराजपुर की प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 17 कुल रकबा 4.21 हे0 चरनोई मद में दर्ज है। इस भूमि को चरनोई से संभागीय आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु व्यपवर्तित करने पर ग्राम महाराजपुर में चरनोई का कितना रकबा शेष बचेगा, इस संबंध में पटवारी प्रतिवेदन, तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के आदेश में कोई उल्लेख नहीं है और ना ही विव्दान आयुक्त ने अपील में इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला गया है। संहिता की धारा 237(3) के अनुसार ग्राम की कृषिक भूमि का न्यूनतम दो प्रतिशत चारागाह, घास, बीड़ के लिये सुरक्षित रखना अनिवार्य है, किन्तु इस ओर अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करते समय ध्यान नहीं दिया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि चरनोई की भूमि के व्यपवर्तित के पूर्व ग्रामवासी हितग्राही पक्षकार होने से उन्हें सुनवायी का अवसर देना नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के अनुसार भी आवश्यक था, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि के चरनोई से व्यपवर्तन के पूर्व विधिवत इश्तहार प्रकाशित कर आपत्तियॉ आमंत्रित करना विचारण न्यायालय के अभिलेख से विदित नहीं होता। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना का आदेश दिनांक 5.8.2014 एवं कलेक्टर जिला मुरैना का आदेश दिनांक 2.9.2013 निरस्त किये जाते है तथा वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार चरनोई घोषित की जाती है, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन किया जाय ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,